प्रैस विज्ञप्ति

स्कूल शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग, हि0 प्र0 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में जॉब ट्रेनी के आधार पर शारीरिक शिक्षक के रिक्त पदों को भरने हेतु बैचवार आधार पर काउन्सलिंग प्रक्रिया सभी जिलों के उप–निदेशक स्कूल शिक्षा (प्रारम्भिक) के कार्यालयों में दिनांक **03 से 04 जून 2026** तक निर्धारित की गई है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हर एक उम्मीदवार जो निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करता है वह बारह जिलों में से किसी भी जिले में भर्ती हेतू पात्र है। अतः इस आदेश को क्रियान्वयन करने हेतू, उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे अपने गृह जिले में निर्धारित प्रपत्र पर जिलों की प्राथमिकताओं का क्रम (Order of preference) भरकर दें। एक बार दी गई प्राथमिकता किसी भी परिस्थिती में बदली नहीं जाएगी। जिलों में रिक्तियों का श्रेणीवार विवरण नीचे दी गई सारणी (अ) के अनुसार है। **एक बार पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवारों को अपने गृह जिला में ही काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना है तथा उन्हें अपने गृह जिला में ही समस्त बारह जिलों की प्राथमिकताएं देनी हैं।** जो उम्मीदवार शारीरिक शिक्षक के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों 10 जनवरी 2011 तथा निम्नलिखित बैच के अनुसार पद के लिए पात्र है, वे केवल अपने गृह जिले में बैचवार भर्ती की काउन्सलिंग के लिए उपस्थित हो सकते है। किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी दूसरे जिलें में काउसंलिंग में भाग लेने हेतू **entertained** नहीं किया जाएगा।

सारणी 'अ'

जिलावार एवं श्रेणीवार रिक्तियों का ब्यौराः–

Name of District	GEN (UR)	EWS	GEN (WFF)	OBC (UR)	OBC (BPL)	OBC (WFF)	SC (UR)	SC (BPL)	SC (WFF)	ST (UR)	ST (BPL)	Total
Bilaspur	5	1	0	1	0	0	3	0	0	0	0	**10**
Chamba	11	3	0	4	2	0	5	3	0	1	0	**29**
Hamirpur	5	3	0	3	1	0	4	1	0	1	0	**18**
Kangra	33	10	1	8	2	1	12	4	0	2	2	**75**
Kinnaur	4	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	**7**
Kullu	8	1	0	8	0	0	6	0	0	1	0	**24**
L&S	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	**5**
Mandi	21	8	1	12	2	0	12	2	1	2	1	**62**
Shimla	16	5	1	7	1	0	8	2	0	1	1	**42**
Sirmour	11	4	0	5	2	0	4	2	0	2	0	**30**
Solan	6	2	0	2	0	0	3	0	0	1	0	**14**
Una	7	2	0	7	5	1	6	3	2	4	2	**39**
Total	130	40	3	59	15	2	65	17	3	15	6	**355**

काउन्सलिंग प्रक्रिया में वही अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो शारीरिक शिक्षक के भर्ती एवं पदोन्नति नियम दिनांक 10 जनवरी 2011 के अनुसार निर्धारित योग्यता पूर्ण करता हो। भर्ती एवं पदोन्नति नियम दिनांक 10 जनवरी 2011 की प्रतिलिपि विभागीय बैवसाईट https://himachal.nic.in/dse पर उपलब्ध है, जिसमें से शैक्षणिक योग्यता का विवरण निम्न प्रकार से है :–

(a) Senior Secondary School (+2) or its equivalent examination passed with at least fifty percent marks and diploma in Physical Education (D.P.Ed) of a duration of two academic years from University/Board recognized by HP Govt. OR

(b) Bachelor's Degree in Physical Education with fifty percent marks (B.P.Ed.) from a University recognized by HP Govt. OR

(c) Bachelor's Degree with Physical Education as an elective subject with fifty percent marks in Physical Education from a University recognized by HP Govt. OR

(d) For Ex-Servicemen candidates Senior Secondary School (+2) or its equivalent examination with pass Course of PTI from Army School of Physical Education Poona.

05% relaxation in marks will be given to those who have least participated in at International/National/SGFI/Sports competition or Position Holders in Inter-Zonal sports competitions.

श्रेणीवार बैच का ब्यौरा जहां तक सभी जिलों में अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है:–

GEN (UR)	EWS	GEN (WFF)	OBC (UR)	OBC (BPL)	OBC (WFF)
31.12.2005	**31.12.2006**	**31.12.2021**	**31.12.2007**	**31.12.2008**	**31.12.2025**

SC (UR)	SC (BPL)	SC (WFF)	ST (UR)	ST (BPL)
31.12.2007	**31.12.2008**	**31.12.2025**	**31.12.2007**	**31.12.2008**

अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी अपने जिले के उप निदेशक स्कूल शिक्षा (प्रारम्भिक) से सम्पर्क कर सकते है।

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सम्पादक /सम्पादक, अमर उजाला/दिव्य हिमाचल/पंजाब केसरी/ट्रिब्यून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त विज्ञापन को अपने दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करें।
2. रक्षक नस्ति।

Directorate of School Education
21 APR 2026
Himachal Pradesh, Shimla-171001

निदेशक स्कूल शिक्षा,
हिमाचल प्रदेश।